मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 15, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 90 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 95 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने पुराने भोपाल के कई क्षेत्रों में वाहन खड़े होने से समस्या उत्पन्न होने,
(2) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य ने जिला सिवनी के अस्पतालों में स्टाफ की कमी होने,
(3) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के क्वाटर्स जर्जर होने,
(4) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने बिछिया के घुघरी से सलवाह मार्ग के नालों पर पुलिया निर्माण न होने,
(5) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम स्थित जयंत विटामिन्स प्लांट की सम्पत्ति मुक्त करने,
(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने मुरैना में डकैत के हाथों मारे गये व्यक्ति के परिवार को सहायता न दी जाने,
(7) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य ने राजगढ़ की पंचायत खनौदा में पेयजल टंकी का घटिया निर्माण होने तथा
(8) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य ने सीहोर के हाईस्कूल में छात्रों को अवार्ड राशि का वितरण न किये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –
(1) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012),
(2) सांची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012),
(3) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) तथा
(4) मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)

पटल पर रखे।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने उनके विभाग की अधिसूचना, दिनांक 6 सितम्बर, 2012 पटल पर रखी।
(2) श्री जयंत मलैया,पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।
(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं -
(क) दिनांक 23 अगस्त, 2012 तथा
(ख) दिनांक 22 सितम्बर, 2012 पटल पर रखीं।
(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने –
(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2011-12
(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2011-12 के अंकेक्षित लेखों के प्रतिवेदन तथा
(ग) ऊर्जा विभाग की अधिसूचनाएं –
(i) दिनांक 14 मार्च, 2012 व शुद्धि पत्र,
(ii) दिनांक 9 अप्रैल, 2012,
(iii) दिनांक 13 अप्रैल, 2012,
(iv) दिनांक 7 जून, 2012, (v) दिनांक 30 जून, 2012,
(vi) दिनांक 17 अगस्त, 2012 तथा
(vii) दिनांक 24 अगस्त, 2012

पटल पर रखीं।

(5) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने –

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन, वर्ष 2011-12 तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संबंधी अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011

पटल पर रखे।

5. जुलाई, 2012 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2012 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2012 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनका शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 6 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2012 (क्रमांक 22 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2012
2.	मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 29 सन् 2012
3.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 30 सन् 2012
4.	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 31 सन् 2012
5.	मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 32 सन् 2012
6.	मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 33 सन् 2012

8. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा द्वारा अपना और परिवार का सम्पत्ति विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

9. ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री विश्वास सारंग एवं श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्यगण ने भोपाल के सांई बाबा नगर स्थित पानी की टंकी धराशायी होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(2) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र में विद्युत ट्रासफार्मर जलने से कृषकों को क्षति होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को 2 घन्टे 30 मिनट का समय नियत किया गया।

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सदस्य को विधान सभा के दिसम्बर, 2012 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटैरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

13. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012)	30 मिनट
4.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 28 सन् 2012)	30 मिनट
5.	मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012)	30 मिनट
6.	न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012)	30 मिनट
7.	मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012)	1 घन्टा
8.	सांची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012)	1 घन्टा
9.	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन् 2012)	30 मिनट
10.	मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012)	1 घन्टा
11.	वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	2 घण्टे 30 मिनट
12.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन	2 घण्टे
13.	मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का 25वां एवं 26वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 तथा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा 25वां एवं 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के हिन्दी रूपांतरण संबंधी प्रतिवेदन	2 घण्टे
14.	दिवारीलाल रावत, सहायक उप निरीक्षक की डकैत मुठभेड़ में हुई संदेह जनक मौत की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन (दिनांक 25 जनवरी, 2006 द्वारा न्यायमूर्ति श्री बी.एम. गुप्ता, एकल सदस्य, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	2 घण्टे
15.	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10	2 घण्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय प्रतिवेदन तथा चतुर्थ कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा(बिज्जु बना) (जिला-नीमच)
(2) श्री दीपक सक्सेना (जिला-छिंदवाड़ा)
(3) डॉ.(श्रीमती) विनोद पंथी (जिला-सागर)
(4) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)
(5) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(6) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)
(7) श्रीमती नीता पटेरिया (जिला-सिवनी)
(8) श्री सुखदेव पांसे (जिला-बैतूल)
(9) श्री कमल पटेल (जिला-हरदा)
(10) श्री जमना सिंह सोलंकी (जिला-खरगौन)
(11) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)
(12) श्री मनीराम धाकड़ (जिला-मुरैना)
(13) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

16. संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 23 फरवरी, 2012 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्रमांक 1032) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 28 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

अपराह्न 12.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 16, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012